(75)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3279–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–10–2015 पारित द्वारा तहसीलदार बेरसिया जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 168/अ–6/13–14

.....

1–मोहम्मद उमर खान पुत्र मोहम्मद इसरत खॉ
2–मोहम्मद एहमर खान पुत्र मोहम्मद इसरत खॉ
निवासीगण वार्ड कमांक 7 बैरसिया तहसील बैरसिया
जिला भोपाल

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मर्सरतजहॉ पत्नी इकबाल अहमद
निवासी ढलकपुरा विदिशा जिला विदिशा
2–निखतजहॉ पत्नी निसार अहमद
निवासी सतपाडा सरॉय
3–शाहीनजहॉ पत्नी खालिद खान
निवासी डांडिया नसरूल्लागंज
4–शहनाजजहॉ पत्नी समद खान
निवासी खानूगांव भोपाल
5–मो0शाहनवाज खान उर्फ राजा
6–मो0शाहवेज खान उर्फ शानू
7–मो0मुवीन खान उर्फ अमन
8–शवा कौसर पत्नी अमजद खान
निवासीगण बुधवारा भोपाल

..... अनावेदकगण

1–सरवर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद मुनब्बर खॉ
2–इसरत मोहम्मद पुत्र मोहम्मद मुनब्बर खॉ
निवासीगण इस्लामपुरा बेरसिया जिला भोपाल

.....तृतीय पक्षकार

.....

श्री सुभाष सक्सैना, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री सुनीलसिह जादौन, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार बेरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा हिबानामा के आधार पर पक्षकार बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 6–10–15 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के पक्ष में हिबानामा है ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को आवेदकगण को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर देना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है जिसमें यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये हैं, इस कारण भी तहसील न्यायालय को आवेदकगण को पक्षकार बनाना चाहिये था । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा हिबानामा के आधार पर पक्षकार बनाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु उनके द्वारा हिबानामा प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है

इसलिये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय के प्रकरण कमांक 95–ए/2015 में पारित निर्णय दिनांक 15–5–2015 से राजस्व अभिलेखों में यथास्थिति के आदेश बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये है अतः व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय को प्रकरण में यथास्थिति बनायी रखी जानी चाहिये थी, किन्तु उनके द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है, इसलिये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बेरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–10–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण व्यवहार न्यायालय के प्रकरण कमांक 95–ए/2015 में पारित निर्णय दिनांक 15–5–2015 के कम में तहसील न्यायालय को उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर